अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
पंचम राज्य वित्त आयोग
प्रथम तल, बी–ब्लाक, वित्त भवन, जन पथ, जयपुर– 302005
फोन नं.– 0141–2742881, 2742833, फैक्स नं.– 2742875
Website: www.sfc.rajasthan.gov.in
E-mail Address: sfc-5@rajasthan.gov.in

प.5(28) 5वां रा.वि.आ./2015 जयपुर, दिनांक 09.11.2015

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त (33)
राजस्थान

विषयः– राज्य वित्त आयोग की प्रश्नावली एवं अन्य आवश्यक सूचनायें भिजवाने बाबत।

महोदय,

संभवतः आपको विदित होगा कि संविधान के अनुच्छेद 243 एवं पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत इस आयोग का गठन महामहिम राज्यपाल के आदेश दिनांक 29.05.2015 द्वारा किया गया है। आयोग को समस्त पंचायजी राज संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का आकलन कर इन्हें राज्य सरकार से आवश्यक आर्थिक सहायता स्वीकृत कराने तथा स्वयं के संसाधन बढ़ाने हेतु जरूरी कदम उठाने के संबंध में सिफारिशें करनी है। आयोग की सिफारिशें वर्ष 2015 से 2020 तक के लिये लागू रहेंगी।

आयोग ने इस हेतु एक प्रश्नावली तैयार की है तथा जिला परिषद की गत पाँच वर्षो 2010–2015 के वास्तविक आय व्यय एवं आगे के पाँच वर्षो 2015–2020 की मदवार आवश्यकता एवं उपलब्धता तथा संभावित अन्तर की गणना हेतु प्रपत्र तैयार किये हैं जो इस पत्र के साथ संलग्न है। इसी तरह की सूचनायें सभी पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों से भी एकत्रित की जानी है। सभी विकास अधिकारियो को अलग से प्रपत्र भिजवाये जा रहे हैं जिनमें पंचायत समिति तथा उस पंचायत समिति के अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों की प्रश्नावलिया भी भिजवाई जा रही है।

आपसे आग्रह है कि आपकी जिला परिषद् के लिये प्रेषित प्रश्नावली एवं प्रपत्रों में वांछित सूचनायें भिजवाने की व्यवस्था करावें तथा आपके जिले की पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को भी समय पर सूचनायें भिजवाने हेतु पाबन्द करावें।

आयोग का कार्यकाल सीमित अवधि के लिये है तथा आयोग को शीघ्र अपना प्रतिवेदन राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करना है अतः इस कार्य को प्राथमिकता देने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नः– यथोपरि

(एस.सी.देराश्री)
सदस्य सचिव